भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 917
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की रिक्तियां

917. श्री इमरान मसूद :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री के.गोपीनाथ :
श्री सुधाकर सिंह :
डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को संपूर्ण देश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों की वर्तमान स्थिति और न्यायपालिका के कार्यकरण पर इसके प्रभाव की जानकारी है ;

(ख) तमिलनाडु में जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों सहित जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए राज्य-वार कितने पद रिक्त हैं ;

(ग) क्या सरकार ने देश में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर रिक्तियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त रिक्तियों को भरने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में तेजी लाने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में प्रस्तावित सुधारों सहित क्या कदम उठाए गए हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों में राज्य-वार कितने न्यायाधीशों के पद भरे गए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार की प्रत्येक राज्य की बढ़ती जनसंख्या और मामलों के भार के अनुरूप न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की योजनाएं हैं और इस आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जा रहा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : 21.11.2024 तक संपूर्ण देश में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों की प्रास्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	रिक्ति
1	उच्चतम न्यायालय	34	02
2	उच्च न्यायालय	1122	364
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	25725	5245

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य सहित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों के ब्यौरे

क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध- 2** पर हैं ।

उच्चमतम न्यायालय में पिछले पांच वर्षों के दौरान भरे गए न्यायाधीशों के पदों को दिखाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**न्यायालय का नाम**	**वर्ष**					
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 (21.11.2024 तक)**
1	उच्चतम न्यायालय	10	--	09	03	14	3

इसके अतिरिक्त, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में विवरण **उपाबंध-3** में दिया गया है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों को राज्यवार दिखाने वाला विवरण **उपाबंध-4** पर है।

सरकार देश में लंबितता की प्रास्थिति पर रिक्तियों के प्रभाव से अवगत है। हालांकि, न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायालयों में एकमात्र कारण नहीं हैं, जो न्यायालयों में निपटान को प्रभावित करती हैं। न्यायालयों में मामलों का निपटान कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक बुनियादी संरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंदों की उपलब्धता, सम्मिलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों अर्थात् बार, अन्वेषण एजेंसियां, साक्षी और वादकारियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। मामलों के निपटान में देरी करने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, खाजने और समूहीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।

(घ) से (ङ) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायी है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित आदेश के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कुछ समय सीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाना है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन और 28 अक्तूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) में उनकी सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (दूसरा न्यायाधीश मामले) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम उत्तरवर्ती न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है । प्रक्रिया ज्ञापन के अधीन उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों की राय भी ली जाती है । सिफारिशों पर विचार किए जाने वाले नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके नाम की सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई हो।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। जबकि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों का रिक्त होना न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या पदोन्नति के कारण हैं और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भी इसका कारण है ।

*****

उपाबंध -1

'न्यायाधीशों की रिक्तियों' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 917 जिसका उत्तर तारीख 29.11.2024 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

21.11.2024 तक भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

		स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्ति		
अ.	उच्चतम न्यायालय	34			32			2		
आ.	उच्च न्यायालय	पीएमटी	एडीडीएल	कुल	पीएमटी	एडीडीएल	कुल	पीएमटी	एडीडीएल	कुल
1	इलाहाबाद	119	41	160	81	0	81	38	41	79
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	22	7	29	6	2	8
3	बंबई	71	23	94	53	15	68	18	8	26
4	कलकत्ता	54	18	72	33	10	43	21	8	29
5	छत्तीसगढ	17	5	22	9	7	16	8	-2	6
6	दिल्ली	45	15	60	34	2	36	11	13	24
7	गुवाहाटी	22	8	30	19	5	24	3	3	6
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	7	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	11	0	11	2	4	6
10	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	19	6	25	12	3	15	7	3	10
11	झारखंड	20	5	25	18	0	18	2	5	7
12	कर्नाटक	47	15	62	44	6	50	3	9	12
13	केरल	35	12	47	30	15	45	5	-3	2
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	35	0	35	5	13	18
15	मद्रास	56	19	75	56	11	67	0	8	8
16	मणिपुर	4	1	5	4	0	4	0	1	1
17	मेघालय	3	1	4	3	1	4	0	0	0
18	उड़ीसा	24	9	33	19	0	19	5	9	14
19	पटना	40	13	53	35	0	35	5	13	18
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	49	4	53	15	17	32
21	राजस्थान	38	12	50	32	0	32	6	12	18
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	24	3	27	8	7	15
24	त्रिपुरा	4	1	5	4	1	5	0	0	0
25	उत्तराखंड	9	2	11	6	0	6	3	2	5
	कुल	**846**	**276**	**1122**	**668**	**90**	**758**	**178**	**186**	**364**

उपाबंध -2

'न्यायाधीशों की रिक्तियों' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 917 जिसका उत्तर तारीख 29.11.2024 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

21.11.2024 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पद

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	618	544	74
2.	अरुणाचल प्रदेश	44	33	11
3.	असम	485	461	24
4.	बिहार	2019	1536	483
5.	चंडीगढ़	30	30	0
6.	छत्तीसगढ	663	465	198
7.	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	7	6	1
8.	दिल्ली	897	803	94
9.	गोवा	50	40	10
10.	गुजरात	1720	1185	535
11.	हरयाणा	773	555	218
12.	हिमाचल प्रदेश	179	160	19
13.	जम्मू - कश्मीर	322	277	45
14.	झारखंड	705	506	199
15.	कर्नाटक	1375	1157	218
16.	केरल	610	534	76
17.	लद्दाख	17	11	6
18.	लक्षद्वीप	4	4	0
19.	मध्य प्रदेश	2028	1692	336
20.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
21.	मणिपुर	62	49	13
22.	मेघालय	99	56	43
23.	मिजोरम	74	45	29
24.	नगालैंड	34	24	10
25.	ओडिशा	1041	842	199
26.	पुदुचेरी	36	26	10
27.	पंजाब	804	723	81
28.	राजस्थान	1641	1314	327
29.	सिक्किम	35	23	12
30.	तमिलनाडु	1369	1023	346
31.	तेलंगाना	560	445	115
32.	त्रिपुरा	133	109	24
33.	उत्तर प्रदेश	3698	2717	981
34.	उत्तराखंड	298	270	28
35.	अंदमान और निकोबार*	0	-12	230
36.	पश्चिमी बंगाल*	1105	863	
कुल		**25725**	**20480**	**5245**

स्रोत: - न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल। *

संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी बंगाल राज्य की संयुक्त रिक्तियां, जैसा कि पश्चिमी बंगाल राज्य के सामने दर्शाया गया है

उपाबंध-3

'न्यायाधीशों की रिक्तियों' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 917 जिसका उत्तर तारीख 29.11.2024 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

01.01.2019 से 21.11.2024 तक सभी उच्च न्यायालयों में की गई नियुक्तियों की संख्या

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	इलाहाबाद	10	4	17	13	9	0
2	आंध्र प्रदेश	2	7	2	14	6	3
3	बंबई	11	4	6	19	9	5
4	कलकत्ता	6	1	8	16	0	0
5	छत्तीसगढ	0	0	3	3	2	3
6	दिल्ली	4	0	2	17	5	0
7	गुवाहाटी	4	0	6	2	5	0
8	गुजरात	3	7	7	0	8	4
9	हिमाचल प्रदेश	2	0	1	2	3	0
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	0	5	2	4	0	1
11	झारखंड	2	0	4	1	0	1
12	कर्नाटक	10	10	6	6	5	0
13	केरल	1	6	12	1	3	12
14	मध्य प्रदेश	2	0	8	6	14	0
15	मद्रास	1	10	5	4	13	3
16	मणिपुर	0	1	0	0	2	0
17	मेघालय	1	0	0	0	1	0
18	उड़ीसा	1	2	4	6	2	0
19	पटना	4	0	6	11	2	2
20	पंजाब और हरियाणा	10	1	6	21	4	0
21	राजस्थान	3	6	8	2	9	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
23	तेलंगाना	3	1	7	17	3	0
24	त्रिपुरा	0	1	0	0	2	0
25	उत्तराखंड	1	0	0	0	3	0
	कुल	**81**	**66**	**120**	**165**	**110**	**34**

उपाबंध-4

'न्यायाधीशों की रिक्तियों' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 917 जिसका उत्तर तारीख 29.11.2024 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले पांच वर्षों में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या एवं रिक्तियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राजयक्षेत्र का नाम	31.12.2018 तक		31.12.2019 तक		31.12.2020 तक		31.12.2021 तक		31.12.2022 तक		31.12.2023 तक	
		स्वीकृत पद	रिक्तियां	स्वीकृत पद	रिक्तियां	स्वीकृत पद	रिक्तियां	स्वीकृत पद	रिक्तियां	स्वीकृत पद	रिक्तियां	स्वीकृत पद	रिक्तियां
1	आंध्र प्रदेश	494	49	597	68	607	97	607	116	607	73	618	83
2	तेलंगाना	493	48	413	79	474	96	474	49	560	150	560	115
3	अरूणाचल प्रदेश	30	5	41	14	41	9	41	9	41	8	44	10
4	असम	430	47	441	29	466	54	467	31	485	60	485	46
5	बिहार	1845	640	1925	776	1936	503	1954	560	2016	667	2016	1550
6	चंडीगढ़	30	0	30	1	30	4	30	0	30	0	30	1
7	छत्तीसगढ़	452	55	468	75	480	93	482	73	527	90	562	139
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	7	0	7	1	7	1	3	1	7	1	7	1
9	दिल्ली	799	258	799	118	799	151	884	192	884	203	887	89
10	गोवा	50	8	50	7	50	10	50	10	50	10	50	10
11	गुजरात	1506	356	1521	336	1521	369	1523	400	1582	431	1720	545
12	हरियाणा	651	162	772	297	772	279	772	290	772	308	772	208
13	हिमाचल प्रदेश	159	10	175	22	175	14	175	15	179	16	179	21
14	जम्मू -कश्मीर	310	86	290	58	296	41	300	59	314	91	317	94
15	लद्दाख					16	8	17	8	17	8	17	7
16	झारखंड	676	216	677	216	675	131	675	152	694	186	693	181
17	कर्नाटक	3972	725	2703	534	1357	286	1363	276	1365	233	1375	225
18	केरल	496	63	536	79	538	68	569	81	595	122	605	91
19	लक्षद्वीप	3	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	1
20	मध्य प्रदेश	1872	511	2021	401	2021	411	2021	469	2021	372	2028	298
21	महाराष्ट्र	2011	167	2189	247	2190	250	2190	250	2190	250	2190	250
22	मणिपुर	55	15	55	16	54	18	59	17	59	17	59	10
23	मेघालय	97	58	97	48	97	48	97	48	99	48	99	42
24	मिजोरम	67	21	64	18	64	21	65	23	74	33	74	33
25	नगालैंड	33	7	33	8	33	7	34	10	34	10	34	10
26	ओडिशा	911	156	919	149	950	194	976	191	1001	234	1008	205
27	पुदुचेरी	26	7	26	15	26	15	26	15	28	17	29	19
28	पंजाब	674	144	675	96	692	99	692	85	797	208	797	212
29	राजस्थान	1337	229	1428	308	1489	197	1549	275	1587	331	1638	296
30	सिक्किम	23	4	25	6	25	5	28	8	30	9	35	12
31	तमिलनाडु	1143	238	1255	175	1298	249	1316	234	1340	272	1371	331
32	त्रिपुरा	115	40	120	24	120	23	122	25	128	20	128	20
33	उत्तर प्रदेश	3225	1188	3416	838	3634	1053	3634	1092	3647	1173	3696	1247
34	उत्तराखंड	293	59	294	66	297	42	299	28	299	30	298	27
35	पश्चिमी बंगाल	1013	75	1014	96	1014	96	1014	96	1014	96	1014	96
36	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	0	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13
कुल		**25309**	**5647**	**25079**	**5208**	**24247**	**4929**	**24515**	**5175**	**25077**	**5764**	**25439**	**5428**